न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 13/2019 ::

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. ग्राम पंचायत कोसेलाव जरिये सरपंच कोसेलाव, नारायणसिंह पुत्र जीवराजसिंह, जाति राजपूत निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली 2. रतनलाल पुत्र नवारामजी, जाति माली निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली		1. मोहनलाल पुत्र केसाराम जाति मेघवंशी, निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली, राजस्थान 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–11.02.2020

वकील अपीलाण्टगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2440 स्वीकृत दिनांक 29.08.2016 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/एफ/12(3)(31)स.प./राज./16/5105 दिनांक 19.08.2016 में वर्णित शर्तो के प्रतिकूल जाकर आदेश की अवहेलना करते हुए पारित किया है जो पृथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 19.08.2016 को संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ/12(3)(31)स.प./राज./16/5105 जारी किया गया जिसमें बिन्दु संख्या 10 में अंकित शर्ते संख्या 05 में संपरिवर्तन भूमि का 40.27 प्रतिशत क्षैत्र जन सुविधाओं हेतु छोडने एवं उक्त छोडी गई भूमि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करने के भी आदेश दिये गये तथा उक्त जनसुविधाओं के लिए छोडी गई भूमि पर रेस्पोडेण्ट किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करेगें जिसकी सुनिश्चितता भुमिधारी तहसीलदार करेगें। अधीनस्थ तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2440 दिनांक 29.08.2016 को स्वीकृत किया जिसमें सम्पुर्ण संपरिवर्तित भुमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम स्वीकृत कर दिया जो उक्त शर्ते का उलंघन है तथा अवैध व विधि विरुद्व होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जावें। तथा संपरिवर्तन में उल्लेखित उक्त शर्तो की अक्षरशः पालना करते हुए संपरिवर्तन क्षैत्र की 40.27 प्रतिशत भूमि को पुनः ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करावें तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य रेस्पो. संख्या 01 न करें इसकी सुनिश्चितता भी तहसीलदार सुमेरपुर से कराई जाने के आदेश प्रदान करावें। संपरिवर्तन आदेश में अंकित बिन्दु संख्या 10 की शर्त

जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 05 की पालना नही कि जाने से नामान्तरकरण ab-initio void होने से अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय फरमावें।

वकील रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि प्रस्तुत अपील में जो अनुतोष वकील अपीलाण्ट द्वारा चाहा गया है वह इस सम्बध में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2019 बअनवान ग्राम पंचायत कोसेलाव सरपंच नारायणसिंह वगैरा बनाम मोहनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019 के द्वारा दिया जा चुका है। इस वजह से प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो जाने से खारिज योग्य है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली संलग्न संपरिवर्तन आदेश की प्रति एवं दस्तावेजात के साथ ही मूल नामान्तरकण का अवलोकन भी किया। संपरिवर्तन आदेश में अंकित बिन्दु संख्या 10 की शर्त संख्या 05 की पालना नही की जाने से अपील को राज्यहित में गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित होने से अन्दर म्याद शुमार की जाती है अपील में सलंग्न संपरिवर्तन आदेश क्रमांक–एफ/12/3/सं.पं./राज./16/5105 दिनांक 19.08.2016 बिन्दु संख्या 10 के अध्याधीन शर्ते वर्णित है जिसकी शर्त संख्या 5 की पालना करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज नही किया जाने से उसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है, जैर अपील नामान्तरकरण में सम्पुर्ण संपरिवर्तित भूमि खातेदारों के नाम ही दर्ज कर दी गई है। जबकि बिन्दु संख्या 10 की शर्त संख्या 5 के अनुसार 40.27 प्रतिशत क्षैत्र जनसुविधाओं (पार्क सड़क व अन्य जनसुविधाओं) के लिए ग्राम पंचायत कोसेलाव के नाम दर्ज किया जाना था तथा शेष 59.73 प्रतिशत भुमि ले आउट प्लान अनुसार खातेदार के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। जिसकी पालना नही कर व्यक्तिगत लाभ पंहुचाने की नियत से सम्पुर्ण भुमि का संपरिवर्तित क्षैत्र खातेदार के नाम ही दर्ज कर दिया तथा खातेदार उनमे निर्माण कार्य कर रहे है। जो विधि सम्मत नही है।

परिणाम स्वरूप जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2440 दिनांक 29.08.2016 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त संपरिवर्तन आदेश के बिन्दु संख्या 10 शर्त संख्या 5 की पालना करते हुए ले आउट प्लाट अनुसार 40.27 प्रतिशत संपरिवर्तन आराजी का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोसेलाव के नाम किया जावे तथा 59.73 प्रतिशत भूमि का इन्द्राज खातेदार के हक में किया जावें। तथा तहसीलदार सुमेरपुर ले आउट प्लान को स्पष्ट दृष्टीगत सूचना पट्ट मौके पर प्रार्थी से लगवाने तथा सम्बधित पटवारी हल्का/ग्राम सेवक जन सुविधाओं के लिए छोडी गई 40.27 प्रतिशत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही करें इसकी सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ संबधित सभी को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कल्क्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)